न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 35/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/72

अपीलार्थी :–

जोधपुर आदर्श प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नम्बर 255 सुभाष चौक रातानाड़ा जरिये अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पुत्र मुन्सी सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 255 सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती ज्योति मिर्धा पुत्री रामप्रकाश मिर्धा पत्नी नरेन्द्र जी गहलोत, जाति जाट, निवासी गुड़गांव, हरियाणा
2. श्रीमती हेम स्वेता मिर्धा पुत्री रामप्रकाश मिर्धा पत्नी दिपेन्द्र हुड्डा, जाति जाट निवासी नई दिल्ली जरिये मुख्यतार प्रेमप्रकाश मिर्धा पुत्र श्री हरिराम मिर्धा निवासी मिर्धा फार्म हाउस सिरसी रोड़ जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 225 ग्राम सूथला जो दिनांक 29.03.2004 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री जयकिशन भईया (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से)।

Signature Not Verified

—: आदेश :— दिनांक :— 29.07.2024

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तरकरण

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

संख्या 225 ग्राम सूंथला दिनांक 29.03.2004 जो कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम सूथला पटवार हल्का गैंवा की विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 103 रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल 4 बीघा 17 बिस्वा में स्थित भूमि का बापी पट्टा क्रमांक 93 दिनांक 29.11.1951 को नादिरशाह वल्द सोहराबशाह को तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी किया गया। नादिरशाह ने पट्टे में वर्णित भूमि खसरा संख्या 22 लगायत 26, 28, 29, 64 लगायत 78, 80, 82, 90, 103, 106 रकबा 49 बीघा 9 बिस्वा का शंकरलाल सिन्धी पुत्र सेवाराम को दिनांक 29.12.1960 को विक्रय कर सम्पति का भौतिक कब्जा जरिये बेचान सूपूर्द कर विक्रय पत्र को दिनांक 31.03.1961 को पंजीबद्ध कर दिया गया। शंकरलाल ने क्रय शुदा भूमि खसरा नम्बर 22 लगायत 26, 28, 29, 64 लगायत 78, 80, 82, 90, 103, 106 रकबा 49 बीघा 4 बिस्वा का रामप्रकाश मिर्धा व रूचिराम को दिनांक 23.01.1963 को विक्रय कर सम्पति का भौतिक कब्जा जरिये बेचान सूपूर्द कर दिनांक 01.05.1963 को पंजीबद्ध किया गया उपरोक्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि में 1/2 अधिकार रूचीराम पुत्र श्यामलाल का था। रूचिराम पुत्र श्यामलाल ने दिनांक 06.02.1968 को क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 22 लगायत 26, 28, 29, 65 लगायत 78, 80,82,90,103,106 रकबा 49 बीघा 4 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की भूमि का भानू प्रकाश मिर्धा पुत्र नाथूराम मिर्धा को विक्रय की गई सम्पति का भौतिक कब्जा सम्भालकर प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1968 को पंजीबद्ध किया गया। भानू प्रकाश मिर्धा ने दिनांक 23.05.1988 को उपरोक्त वर्णित क्रयशुदा भूमि में से विवादग्रस्त खसरा संख्या 103, 106 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि का अपीलान्ट जोधपुर आदर्श प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को विक्रय की गई सम्पति का भौतिक कब्जा संभालकर प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 11.10.1988 को पंजीबद्ध किया गया। रामप्रकाश मिर्धा के देहान्त के पश्चात विधिक वारिसानों द्वारा [illegible] बाबत बंटवाड़ा,खातेदारी घोशणा,रिकार्ड दुरस्ती का सहायक जिलाधीश जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। वादी ने उक्त वादपत्र में अंकित किया कि दोनों पक्षकारो ने आपस

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में बाई मीट्स एंड बाउण्ड्स काफी समय पहले बंटवारा कर लिया, भूमि अलग–अलग कर ली एवं दोनो अलग–अलग ही काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 74, 75, 76, 77/1, 30, 82, व 90 की 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि आना अंकित किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77 की 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि आना अंकित किया। वादीगण ने वादपत्र के पैरा संख्या 6 में वादीगण ने स्पष्ट रूप से अंकित किया कि खसरा संख्या 106 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 103 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का अन्य व्यक्तियों को हस्तानान्तरित की गई है इसलिए बंटवाड़ा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। दावे में भानूप्रकाश ने अपने जवाब दावे में खसरा संख्या 106, 103 का पूर्व में बेचान किये जाने का कथन किया है। न्यायालय सहायक जिलाधीश के राजीनामे के आधार पर किये गये निर्णय डिक्री दिनांक 09.05.2001 में भी खसरा संख्या 106, 103 की भूमि सम्मिलित नहीं है। भानू प्रकाश मिर्धा ने अपीलान्ट को दिनांक 23.05.1988 को खसरा संख्या103 रकबा 1बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 106 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा को बेचान करने के बावजूद तहसीलदार जोधपुर ने आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 29.03.2004 स्वीकार किया जिसमें 1/2 हिस्सा श्रीमती बीना देवी पत्नी रामप्रकाश मिर्धा व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का दर्ज किया गया जिससे व्यथित होकर अंत में अपीलार्थी द्वारा आलौच्य नामांतरकरण निरस्त कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन भईया ने वकालतनामा पेश किया। उ[illegible] अधिवक्तागण की बहस दिनांक 22.07.2024 सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के संलग्न दिनांक 25.07.2024 को दस्तावेज पेश किये तथा रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने दिनांक 26.07.2024 को लिखित बहस बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिनियम पेश की जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली आदेश हेतु 29.07.2024 को रखी गई।

अपीलार्थी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को विवादित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 225 तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस जारी अथवा तामील नहीं करवाया गया एवं न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया जो शुरू से शून्य है। इसी भूमि के अन्य प्रकरण संख्या 208/2019 उनवान ज्योति मिर्धा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.03.2021 की पटवारी द्वारा दिनांक 20.03.2021 को अपीलान्ट को जरिये आवन्टी अनिल चौधरी से जानकारी प्राप्त होने पर एवं दिनांक 29.03.2004 से दिनांक 20.03.2021 तक की अवधि जानकारी अभाव में क्षमा योग्य होने से बिना विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांत के जरिये तकनीकी बिन्दू के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किये जाने एवं किसी कार्यवाही को निरस्त नहीं करने के निर्देश भी जारी किये जा चुके है। अंत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर म्याद शुमार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवम् धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का लिखित रूप से प्रत्यतुर भी प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण की ओर से दिनांक 26.06.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है तथा अपील में डिविजनल कमिश्नर द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2018 के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया है। इसी भूमि के अन्य प्रकरण संख्या 208/2019 उनवान ज्योति मिर्धा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.03.2021 की पटवारी द्वारा दिनांक 20.03.2021 को अपीलान्ट को जरिये आवन्टी अनिल चौधरी से जानकारी प्राप्त होने से आलोच्य नामान्तकरण की जानकारी हुई। नामान्तरकरण संख्या 225 के अस्तित्व में रहते हुए अपीलार्थी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सही तथ्यों को छुपाकर गलत दस्तावेज के आधार पर 90बी की कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाधित है जिस विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये गये है जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी द्वारा अपने मौखिक बहस में अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बतलाया कि भानू प्रकाश मिर्धा द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 23.05.1988 को खसरा संख्या 103 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 106 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा को बेचान करने के बावजूद तहसीलदार जोधपुर ने आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 29.03.2004 स्वीकार किया जिसमें 1/2 हिस्सा श्रीमती वीणा देवी पत्नी रामप्रकाश मिर्धा व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का दर्ज किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण श्री जयकिशन भईया ने मौखिक बहस में बतलाया कि आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से बद्नियती पूर्वक मौजूदा अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थीगण आलौच्य नामांतरकरण से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है जिस कारण अपीलार्थी को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। उपरोक्त भूमि पूर्व में नादिरशाह ने शंकरलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की तथा शंकरलाल पुत्र सेवाराम ने उपरोक्त 1/2 भूमि रामप्रकाश मिर्धा व 1/2 हिस्सा रूचीराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दी। रूचीराम द्वारा अपनी 1/2 भूमि भानूप्रकाश मिर्धा को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे के दिनांक 12.06.1968 को बेचान कर दी। इस प्रकार उक्त बेचाननामे से स्पष्ट है कि रामप्रकाश [illegible] व भानूप्रकाश द्वारा अलग–अलग विक्रय पत्रों से भूमि खरीद की थी [illegible] भूमि पर 1/2 हिस्सा रामप्रकाश मिर्धा व 1/2 हिस्सा भानूप्रकाश का था। वर्ष 2004 में बेचाननामे के आधार पर जोधपुर आदर्श प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण भरवाया गया तथा उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2004 से रही है तथा तत्पश्चात वीणा देवी के देहान्त के बाद वर्ष 2009 में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 279 ज्योति मिर्धा व हेम स्वेता मिर्धा के नाम से भरा गया जिसकी पूर्ण जानकारी सोसायटी को है तथा आलोच्य नामान्तरकरण को करीब 18 वर्ष पश्चात चुनौती पेश की है। राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है उस विक्रय पत्र में अपीलार्थी द्वारा जो जो सेलडीड पेश की है उसमें 1/2 हिस्सा दर्शित किया गया तथा जोधपुर विकास प्राधिकारण के समक्ष पट्टा कार्यवाही के दौरान अपना 1/2 हिस्सा बताया। इन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त कार्यवाही में ज्योति मिर्धा, हेम स्वेता मिर्धा के नाम से हक अधिकार होना माना है तथा उक्त नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी स्पष्ट होना प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा डिविजनल कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित स्थगन आदेश की भी अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी है। अपील में देरी के कारणों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा संपूर्ण प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई सद्भाविक अथवा संतोषप्रद कारण भी कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई पोषणीय नहीं रह जाता है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने मौखिक बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत 2013(1) डी.एन.जे. (राज.)141 राज. उच्च न्यायालय, 2012 डी.एन.जे. (सर्वोच्च न्यायालय) 517, 2016(4) डी.एन.जे. (राज.) 1732 राज. उच्च न्यायालय, 2014 (3) सी.सी.सी. 470 सर्वोच्च न्यायालय, 2010 (4) सी.सी.सी. 551 सर्वोच्च न्यायालय, 2009 (2) सी.सी.सी. 440 सर्वोच्च न्यायालय, 2010 (4) सी.डी.आर. 2453 डी.बी. राजस्थान प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संबध में सुसंगत विधि एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहां कोई अपील अथवा अन्य कार्यवाही विधि द्वारा विहित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है तो विपक्षी के हक में एक विशेष अधिकारो का सृजन हो जाता है एवं न्यायालय को ऐसी अपील या कार्यवाही सुनने का क्षैत्राधिकार भी नहीं रह जाता है। जिस कारण मूल प्रकरण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत सुनवाई कर सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करते हुए यदि न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है तो ही गुणावगुण पर सुनवाई की जावें।

अतः अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले प्रार्थना पत्र- धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि शंकरलाल पुत्र सेवाराम ने विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या103 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 106 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा रामप्रकाश मिर्धा व 1/2 हिस्सा रूचीराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दी। रूचीराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि भानूप्रकाश मिर्धा को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर दिनांक 12.06.1968 को बेचान कर दी। इस प्रकार उक्त बेचाननामे से स्पष्ट है कि रामप्रकाश मिर्धा व भानूप्रकाश द्वारा अलग-अलग विक्रय पत्रों से भूमि खरीद की गई थी तथा विवादित भूमि पर बतौर खातेदार 1/2 हिस्सा रामप्रकाश मिर्धा व 1/2 हिस्सा भानूप्रकाश का था। वर्ष 1989 के बेचाननामे के आधार पर जोधपुर आदर्श प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के नाम से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 225 वर्ष 2004 में स्वीकार किया गया जिसमें पहले से ही 1/2 भाग पर वीणा देवी बेवा रामप्रकाश का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज था इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2004 से ही रही है तथा अपीलार्थी ने स्वयं अवगत कराया कि पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में विक्रय विलेख के आधार पर उसके द्वारा वर्ष 2017 में 90ए की पट्टा कार्यवाही बाबत जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 26.06.2018 को खातेदारी अधिकारों का पर्यावसन का आदेश पारित किया गया जिससे साबित होता है कि अपीलार्थी को आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी वर्ष 2018 में भी हुई [illegible] जारी होने की तिथि अथवा उसकी जानकारी होने से विधि [illegible] समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करना एक बाध्यकारी प्रावधान [illegible]तु अपीलार्थी द्वारा नामांतरकरण की तिथि से समयावधि के भीतर अ[illegible] प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अभिवचनों एवम् उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण को आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी शुरू से रही है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी की तारीख से विलम्ब-को क्षमा किये जाने हेतु न्यायोचित कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किये गये है जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने से निरस्त योग्य है।

ब्रिजेश कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2014 (3) सी.सी.सी. 470 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पद संख्या 9 से 13 में अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब को यदि ठीक और संतोषप्रद तरीके से स्पष्ट नहीं किया तो केवल सहानूभूति के आधार पर देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को यह अवधारित करना है कि क्या अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने का प्रर्याप्त कारण है और क्या अपीलार्थी द्वारा इतने विलम्ब तक अपील प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था। कानूनी बिन्दू पर निष्कर्ष यह निकलता है कि महज तकनीकी आधार पर किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए किन्तु अत्यन्त दीर्घ अवधि के विलम्ब के कारण भी पर्याप्त संतोषजनक होने चाहिए।

अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर करने योग्य नहीं है क्योकि प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजात से न्यायालय के समक्ष यह भली भांति दर्शाया है कि आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। हालांकि विलम्ब क्षमा करने के स्पष्टीकरण को उदारता से लेना चाहिए लेकिन हस्तगत प्रकरण में लगभग 17 वर्षो का विलम्ब सामने आया है जिसका स्पष्टीकरण भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत भी मौजूदा प्रकरण में लागू होते है। देरी का कारण पर्याप्त तथा सद्भाविक [illegible] किया जा सकता है परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प[illegible] उ[illegible] तथ्य, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवम् [illegible] का अध्ययन करने से विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं होने से अपील[illegible] का प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिनियम खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

दीप्ति शर्मा, (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

दीप्ति शर्मा, (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested